कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़
सी.यू.जी.– 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 230/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 16.06.2026

प्रेस नोट
साइबर सेल, जनपद आजमगढ़
दिनांक : 16 जून 2026

देशव्यापी साइबर ठगी नेटवर्क पर आजमगढ़ पुलिस का बड़ा प्रहार, 448 साइबर शिकायतों से जुड़े संगठित गिरोह का भंडाफोड़

फर्जी फर्म, म्यूल खाते और करोड़ों के साइबर फ्रॉड का खुलासा, 04 शातिर गिरफ्तार, ₹10 लाख की धनराशि कराई गई फ्रीज

"साइबर ठगी के जड़ में वार" अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई, ₹40 लाख के संदिग्ध ट्रांजेक्शन, विदेशी सिम, फर्जी दस्तावेज व लग्जरी वाहन बरामद

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार द्वारा जनपद में साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान *"साइबर ठगी के जड़ में वार"* के क्रम में *श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री चिराग जैन व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात श्री पंकज श्रीवास्तव* के निर्देशन में *साइबर सेल, आजमगढ़ एवं थाना अहरौला पुलिस की संयुक्त टीम* ने एक बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए संगठित साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस टीम द्वारा *04 शातिर अभियुक्तों* को गिरफ्तार किया गया है, जो *फर्जी फर्मों एवं बैंक खातों के माध्यम से देशभर में साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि के लेन-देन में संलिप्त* थे। प्रारंभिक जांच में गिरफ्तार अभियुक्तों का संबंध देश के विभिन्न राज्यों में दर्ज सैकड़ों साइबर अपराध शिकायतों से पाया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.06.2026 को संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग के दौरान समन्वय पोर्टल पर प्राप्त म्यूल खातों की जांच से महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई। साइबर सेल द्वारा की गई तकनीकी एवं वित्तीय जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि भारतीय स्टेट बैंक में फर्जी फर्मों के नाम पर खोले गए बैंक खातों का उपयोग साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि के लेन-देन हेतु किया जा रहा था। वित्तीय विश्लेषण के दौरान इन खातों के संबंध में एनसीआरपी पोर्टल पर कुल ***448 साइबर शिकायतें*** दर्ज पाई गई। जांच में यह भी सामने आया कि एक बैंक खाते में मात्र ***03 दिनों के भीतर लगभग ₹40 लाख का संदिग्ध लेन-देन*** किया गया था।

आजमगढ़ पुलिस की तत्परता, तकनीकी दक्षता एवं संबंधित बैंकों तथा एजेंसियों के साथ प्रभावी समन्वय के परिणामस्वरूप साइबर अपराध से संबंधित लगभग ***₹10 लाख की धनराशि फ्रीज*** कराई गई, जिससे पीड़ितों की रकम सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ***साइबर सेल एवं थाना अहरौला पुलिस*** की संयुक्त टीम द्वारा ***दुर्वासा मंदिर के पास*** प्रभावी घेराबंदी कर चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ, डिजिटल साक्ष्यों एवं बरामद दस्तावेजों के आधार पर साइबर अपराध में उनकी संलिप्तता प्रमाणित हुई। जिसके आधार पर थाना अहरौला पर ***मु0अ0सं0 243/2026 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/111 बीएनएस 66सी आईटी एक्ट*** पंजीकृत किया गया ।

साइबर ठगी का तरीका-

गिरोह के सदस्य फर्जी फर्मों का निर्माण कर बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से उनके नाम पर करंट अकाउंट खुलवाते थे। करंट अकाउंट का उपयोग बड़े पैमाने पर एवं निरंतर धनराशि के लेन-देन के लिए किया जाता था, जिससे साइबर ठगी से प्राप्त रकम को तेजी से विभिन्न खातों में स्थानांतरित किया जा सके। अभियुक्त भोले-भाले व्यक्तियों को लालच अथवा झांसा देकर उनके नाम पर फर्म एवं बैंक खाते खुलवाते थे। इसके बाद पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड तथा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपने कब्जे में लेकर साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि को इन खातों में प्राप्त करते, निकालते एवं अन्य खातों में ट्रांसफर करते थे। बाद में इस अवैध धनराशि का गिरोह के सदस्यों के बीच बंटवारा किया जाता था।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

01. मु0अ0सं0 243/2026 धारा_318(4)/338/336(3)/340(2)/111 बीएनएस 66सी आईटी एक्ट थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. **सुधाकर पुत्र राम समुझ**, निवासी– ग्राम इटौरा, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
2. **नितिन मिश्रा पुत्र हरेन्द्र मिश्रा**, निवासी– ग्राम मखदूमपुर, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र– लगभग 24 वर्ष।
3. **नवनीत सिंह पुत्र राकेश सिंह**, निवासी– ग्राम शम्भूपुर पुरा गहजी, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़, उम्र– लगभग 27 वर्ष।
4. **सुमित सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह**, निवासी– ग्राम बाकरकोल, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़, उम्र– लगभग 32 वर्ष।

अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी का विवरण:-

- 06 अदद एटीएम/डेबिट कार्ड
- कूटरचित मुहरें
- फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं वोटर आईडी कार्ड
- 02 अदद ब्लैंक चेक
- 01 अदद विदेशी सिम कार्ड
- 04 अदद मोबाइल फोन
- विभिन्न व्यक्तियों के नाम से जारी पहचान पत्र
- 01 अदद महिन्द्रा थार ROXX वाहन संख्या UP 50 DE 7003
- 01 अदद होंडा मोटरसाइकिल संख्या UP 50 DD 5109

गिरफ्तारी करने वाली टीम – साइबर सेल

1. उ0नि0 रवि प्रकाश भारती, प्रभारी साइबर सेल
2. मु0आ0 ओमप्रकाश जायसवाल, साइबर सेल
3. मु0आ0 मुकेश भारती
4. आरक्षी सतेन्द्र यादव, साइबर सेल

गिरफ्तारी करने वाली टीम – थाना अहरौला-

1. उ0नि0 मंतोष कुमार सिंह, थानाध्यक्ष अहरौला
2. उ0नि0 यश सिंह पटेल
3. हे0का0 इन्द्रमणि पटेल
4. का0 अरमान
5. रि0का0 अनूप यादव

जनहित अपील-

आजमगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर अपने नाम से बैंक खाता, फर्म अथवा सिम कार्ड उपलब्ध न कराएं। किसी भी संदिग्ध साइबर गतिविधि की सूचना तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 अथवा निकटतम पुलिस स्टेशन पर दें। साइबर अपराध के विरुद्ध जनपद पुलिस की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।